

- विश्वासभाजन.

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :- 08/8/2025

Q 7/8/15

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आवंटन क्रमांक—

.....

पत्रांक-06/EV (प्रो0 राशि)-15-07/2024 (पार्ट II)

80

सेवा में,

जिला परिवहन पदाधिकारी,
गया।

पटना, दिनांक-08/8/2025

विषय :- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- 340 दिनांक- 8/8/25 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में "बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023" के लिए स्वीकृत कुल-12,00,000/-(बारह लाख) रु० मात्र की राशि के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- 340 दिनांक- 8/8/25 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में "बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023" के लिए स्वीकृत कुल-12,00,000/-(बारह लाख) रु० मात्र की राशि जिला परिवहन पदाधिकारी, गया को आवंटित की जाती है।

2. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना में मांग संख्या-47 से निम्न प्रकार की जायेगी:-

क्र०	योजना शीर्ष	जिला का नाम	राशि
1	मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-199-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता-उपशीर्ष-0103 बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन विपत्र कोड-47-3055001990103 विस्तृत शीर्ष वस्तुगत शीर्ष विस्तृत शीर्ष-33-सब्सिडी एवं वस्तुगत शीर्ष-01-सब्सिडी	जिला परिवहन पदाधिकारी, गया	12,00,000/-

- जिला परिवहन पदाधिकारी, गया द्वारा इस राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-340 दिनांक- 8/8/25 में निहित अनुदेशों के अनुरूप करेंगे।
- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-एम-4-05/98-2561 वि (2), दिनांक-17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- लाभुकों को आवंटित राशि का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिसूचना सं०-9172 दिनांक-05.12.2023 के आलोक में पूरी छानबीन एवं आवश्यक जाँच के बाद ही किया जायेगा, अन्यथा किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी की होगी।
- इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर

14

- विश्वासभाजन,
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।